मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन (बीआईपी) की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें।

'सभी निवेश प्रस्तावों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन की समीक्षा में निर्देश दिये

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायेगी, जो तय समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीर हैं।**

जयपुर, 1 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यिमता के माहौल में बदलाव आया है।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन (बीआईपी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि रिप्स के परिलाभ के अतिरिक्त कस्टमाइज़ पैकेज में शामिल किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए।

शर्मा ने कहा कि राज्य के राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो तय समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने विस्तार से संबंधित निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति की स्थिति के आधार पर परिलाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए।

बैठक में उद्योगों को देय पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव सहित जल संसाधन, वित्त, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग एवं खान विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

ले.जन. प्रतीक शर्मा उत्तरी कमान के चीफ नियुक्त

नयी दिल्ली, 01 मई। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने गुरूवार को सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें ले. जनरल एम वी सुचिन्द्र कुमार के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गयी है जो बुधवार को सेवानिवृत हो गये।

- **शर्मा ने सुचिन्द्र कुमार से पदभार ग्रहण किया जो बुधवार को रिटायर हो गए।**

एक उच्च पदस्थ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ,खड़कवासला, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1987 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने राजधानी के नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी कोर्स किया है।

एनआईए चीफ पहलगाम पहुंचे

श्रीनगर, 01 मई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के कुछ दिनों बाद एजेंसी प्रमुख सदानंद वसंत दाते गुरुवार को पहलगाम पहुंचे।

एनआईए की टीमें पिछले सप्ताह से ही आतंकवादी हमले वाली जगह पर मौजूद हैं और सबूतों की तलाश कर रही हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद एनआईए प्रमुख तुरंत पहलगाम के लिए रवाना हो गए, जहां आतंकवाद निरोधी एजेंसी के अधिकारी उन्हें चल रही जांच के बारे में जानकारी देंगे।

तहव्वुर राणा की आवाज़ व लिखावट के नमूने लेगी एन.आई.ए.

एन.आई.ए. ने इसके लिए विशेष अदालत से अनुमति ली है

- **इन नमूनों के आधार पर फोन कॉल, साजिश से जुड़े काजगों व यात्रा रिकार्ड की पुष्टि की जा सकेगी।**

नयी दिल्ली, 01 मई। मुंबई आतंकवादी हमलों की जांच के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हमलों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में एक तहव्वुर राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने लेने की अनुमति दे दी है।

मुंबई के ताज होटल सहित कई ठिकानों पर 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों ने विश्व भर में लोगों को दहला दिया था जिसमें विदेशी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे। राणा इन हमलों का एक मुख्य आरोपी है। अमेरिका के साथ प्रत्यपर्ण समझौते के अंतर्गत वहां से दस अप्रैल को भारत लाया गया। तब से वह एनआईए की हिरासत में है।

दिल्ली की अदालत ने एनआईए की एक अर्जी पर उसे राणा की आवाज और हस्तलिपि के नमूने लेने की छूट दी। एनआईए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में तहव्वुर राणा की संलिप्तता की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी राणा की आवाज और लिखावट के नमूनों के आधार पर फोन कॉल, साजिश के कागजों और यात्रा रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकेगी।

एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवायी करने वाली विशेष अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने एनआईए के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह के फॉरैंसिक नमूने 'जांच की निरंतरता और न्याय के हित में' आवश्यक हैं। नमूनों का मिलान कथित तौर पर हमले की योजना से जुड़े दस्तावेजों और ऑडियो रिकॉर्डिंग से किया जाएगा।

पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा, कैनडा का नागरिक है। उस पर 26/11 हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए मुंबई में हमले की जगहों की रेकी करने का आरोप है। आरोप है कि वह अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ हमले की साजिश में शामिल था। हेडली अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है और भारत में मामले की जांच में सरकारी गवाह बन गया है। उसने बयान दिया है तहव्वुर राणा ने आतंकवादियों को मुंबई में हमले की जगहों के बारे में जानकारी जुटा कर हमले में उनकी मदद की थी।

अन्ततोगत्वा अमेरिका और यूक्रेन के बीच...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह खनिज समझौता यूरोपीय देशों के लिए भी एक तरह का आश्वासन है, जो यूक्रेन को लेकर अमेरिका की भूमिका के बारे में चिन्तित थे। यह समझौता, पूरी तरह क्रियान्वित होने के बाद, डॉनल्ड ट्रंप और व्लादिमिर पुतिन के बीच दरार पैदा कर सकता है।

यूक्रेनियन और यूरोपीय लोग यह महसूस कर रहे थे कि ट्रम्प, पुतिन और रूस की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यह समझौता अब यूक्रेन को अमेरिका के एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में मान्यता देता है।

हालांकि अमेरिकी कंपनियों को इस समझौते के वास्तविक लाभ मिलने में समय लगेगा, लेकिन अमेरिका द्वारा समर्थित यूक्रेन के पुनर्निमाण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि रूस द्वारा संघर्ष-विराम लागू करने में बार-बार असफल रहने के कारण, इस खनिज समझौते को तेजी से आगे बढ़ाया गया। ट्रम्प ने रूस के रवैये पर नाराजगी जताई थी और शांति वार्ता से दूरी बनाए रखने पर निराशा प्रकट की थी। ट्रम्प को यकीन था कि रूस जानबूझ कर देरी कर रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की थी।

यह खनिज समझौता अमेरिका के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दिये जाने के बाद, यूक्रेन से होने वाली खनिज-आपूर्ति से सप्लाई लाइन्स बरकरार रह सकती हैं। अमेरिकी उद्योग, खासकर बड़े उद्योगों ने कुछ सामान तो स्टोर करके रखा होगा, लेकिन वह जल्द ही खत्म हो सकता है। यदि तब तक यह समझौता पूरी तरह कार्यशील हो जाता है, तो कुछ आपूर्ति यूक्रेन से मिल सकेगी।

जाति जनगणना पर केन्द्र सरकार के फैसले को राहुल की जीत बताया संजय राउत ने

शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने पहलगाम अटैक से ध्यान हटाने के लिए यह फैसला लिया है

- **संजय राउत ने कहा राहुल गत दस वर्ष से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार का यह फैसला राहुल की बड़ी जीत है।**

मुंबई, 01 मई। केन्द्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार इसे अपनी जीत मान रहा है। इसी बीच केन्द्र के इस फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को शामिल करने के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लिया गया है।

राउत ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब केन्द्र सरकार 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सवालों के घेरे में थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह फैसला सवालों से ध्यान भटकाने की रणनीति लगती है।

राउत ने कहा कि भले ही फैसला कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) ने लिया हो, लेकिन बहुजन समाज, दलित और वंचित वर्ग इसके लिए राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों से लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं, इसलिए यह उनकी एक बड़ी राजनीतिक जीत है।

उन्होंने यह भी बताया कि यह फैसला बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर भी लिया गया हो सकता है। इसके साथ ही राउत ने यह भी दावा किया कि भाजपा पहले जाति आधारित जनगणना का विरोध करती रही है, लेकिन अब उसे झुकना पड़ा।

महेश जोशी की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिवाजों में हिस्सा लेना है, वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद मानसिक तौर पर भी विचलित हुए हैं। अंतरिम जमानत के दौरान भी उन्होंने शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है और साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वे जयपुर के निवासी हैं और उनकी चल-अचल संपत्ति जयपुर में ही है। उनके भागने का अंदेशा भी नहीं है। उनके कोई भी अनुसंधान बाकी नहीं हैं और वे पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से केस की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि को 9 दिन के लिए बढ़ाया जाए। इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीणा ने कहा कि आरोपी को पहले ही 4 दिन की अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अदालत के पूर्व के आदेश को रिव्यू कराने के समान है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को फैसला देना तय किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 5 किलोमीटर दायरे में पेड़ नहीं काटने का आदेश दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2015 को यह आदेश दिया था

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताजमहल के 5 किलोमीटर दायरे में अतिआवश्यक स्थिति जैसे मानव जीवन की क्षति होने पर ही कोई पेड़ काटा जा सकता है।**

नई दिल्ली, 01 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने 2015 के निर्देश को दोहराया। पीठ ने कहा कि जहां तक ताजमहल के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का सवाल है तो 8 मई 2015 का मूल आदेश लागू रहेगा। ऐसे मामलों में पेड़ों की कटाई की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम हो। यह अदालत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से सिफारिश मांगेगी और उसके बाद पेड़ों की कटाई पर विचार करेगी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारक से पांच किलोमीटर के दायरे से परे लेकिन टीटीजेड के भीतर के पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी और अधिकारी उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रभागीय वन अधिकारी को यह शर्त लगानी होगी कि पेड़ों की कटाई तभी की जा सकती है, जब ऐसा करना अति आवश्यक हो तथा जब प्रतिपूरक वनरोपण सहित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया जाए। न्यायालय ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपवाद केवल तभी लागू होगा जब पेड़ों की कटाई अत्यंत आवश्यक हो। जैसे पेड़ों की कटाई तत्काल नहीं की गई तो मानव जीवन की हानि की संभावना हो सकती है।

अदालत ने सीईसी से एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें यह बताया जाए कि क्या दो अन्य विश्व धरोहर इमारतों आगरा किला और फतेहपुर सीकरी की सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ताज ट्रेपेज़ियम जोन (टीटीज़ेड) का मामला शीर्ष अदालत के समक्ष विचारणीय है। इसके तहत लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। इस बीच, अदालत ने आगरा स्थित एक न्यास की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निजी भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति लेने की शर्त में ढील देने की मांग की गई थी।

अजमेर : नाज़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चौथी मंजिल तक पहुंच गई। आनन-फानन में जाहिद ने खिड़की से गद्दा नीचे फेंका और नीचे खड़े लोगों से कहा कि इसे पकड़ें और उन्होंने डेढ़ साल के इब्राहिम को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जाहिद भी नीचे कूद गया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेहाना ने बताया कि वह बिजली के तार पर लटक गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि एक व्यक्ति 90 प्रतिशत तक झुलस चुका है, जबकि बाकी तीन 60 से 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लोक बंधु, जिला कलेक्टर अजमेर ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ सहित अन्य टीमें पहुंच गई थीं। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि यह मामला पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष था, जिसने 2023 में हिरणों के स्थानांतरण पर रोक लगाई थी और सुझाव दिया था कि कम से कम 50 हिरण हौज़ खास में ही रखे जाएं।

हालांकि, जुलाई 2024 में उच्च न्यायालय ने डीडीए की उस बात को मानकर कार्यवाही बंद कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि 24 हिरण हौज़ खास में रखे जाएंगे और बाकी को अनुमति मिलने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा।

संस्था ने कहा कि जुलाई 2024 का आदेश याचिकाकर्ता को डीडीए के हलफनामे की जांच का अवसर दिए बिना पास किया गया था, और उस समय संस्था के वकील ने बिना उचित निर्देश लिए डीडीए की बात मान ली थी।

बाद में, संस्था ने जुलाई 2024 के आदेश को वापस लेने की अर्जी दी, जिसे जनवरी 2025 में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पंजाब में पानी पर भारी घमासान

चंडीगढ़ , 01 मई। पंजाब-हरियाणा में पानी को लेकर घमासान मचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जल संकट पर शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। जिसमें पानी को लेकर सभी दलों के बीच एकजुटता बनाई जाएगी। साथ ही भगवंत मान ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह 10 बजे पंजाब भवन में ऑल पार्टी मीटिंग होगी। बैठक में केंद्र द्वारा पंजाब का पानी छीने जाने पर चर्चा होगी। साथ ही भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के गलत इस्तेमाल और हरियाणा को नाजायज़ पानी देने पर भी सवाल उठाया जाएगा।

पंजाब सरकार ने जल सकंट को लेकर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी घोषणा की है।

अटारी वाघा सीमा पर गेट बंद

सीमा के दोनों ओर कई नागरिक फंसे

अटारी (अमृतसर), 01 मई। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी अल्पकालिक और विशेष वीजा रद्द कर दिए गए थे और एक मई से अटारी-बाघा बॉर्डर चैक पोस्ट बंद के आदेश दिए गए थे। इसलिए गुरूवार को अटारी-वाघा सीमा के दोनों ओर अनिश्चितता का माहौल रहा, क्योंकि एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के गेट बंद रहे। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई, न ही किसी भारतीय नागरिक को दूसरी तरफ से लौटने दिया गया।

गेट बंद होने के बावजूद, देश के कई राज्यों से आए 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक गुरुवार को अपने देश लौटने की उम्मीद में सीमा पर जमा हो गए। जम्मू-कश्मीर के राजौरी की दो ऐसी महिलायें सईदा समीर फातिमा और सईदा सफ़ीर फातिमा 1983 में भारत आई थीं।

उनके पिता का 1980 में पाकिस्तान में निधन हो गया था और तब से उनका देश से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में अपना पूरा जीवन बिताने के बावजूद उन्हें जबरन निकाला जा रहा है। उनके रिश्तेदार मुरावत हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में उनका कोई परिवार नहीं है और वे भारत नहीं छोड़ना चाहते। कराची की एक और महिला भी निष्कासन का सामना कर रही है, लेकिन अपने बच्चे के बिना वापस लौटने से इनकार कर रही है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। आंसुओं के साथ उसने कहा कि उसने अपने बच्चे के साथ रहने या उनके साथ वापस लौटने की अपील की थी।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने पहले के निर्देश में संशोधन कर एक मई को सीमा बंद करने का आदेश दिया था, और पाकिस्तानी नागरिकों को अगली सूचना तक अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के माध्यम से भारत छोड़ने की अनुमति दी थी। दोनों देशों ने सीमा के दोनों ओर फंसे लोगों के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है।

दुबारा मैडिकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को 30 सितंबर 2018 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी गई। बाद में दुबारा मेडिकल के आधार पर उन्हें सेवा में अनफिट माना गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को सितंबर व अक्टूबर 2019 माह में आदेश जारी कर पुलिस कांस्टेबल के पद से बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भर्ती नियमों में दुबारा मेडिकल कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पीयूष पाटीदार के मामले में पूर्व में ही यह मुद्दा तय हो चुका है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर उन्हें पुलिस कांस्टेबल के पद पर बहाल किया जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में दिए आदेश को याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू कर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है।

कांग्रेस ने शुक्रवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की, इस बात पर जोर देने की कोशिश की जायेगी, कि जातिगत सर्वे कराने की घोषणा तो सरकार ने कर दी है, लेकिन इसके समयबद्ध क्रियान्वयन (टाइम लाइन) के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस यह सुझाव भी देना चाहती है कि केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना में तेलंगाना का अनुसरण करे। पार्टी ने यह मांग भी की है कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा हटा दी जाये।पूरे भारत, तथा खासतौर से बिहार, में जातिगत संवेदनशीलता कुछ ज्यादा प्रखर है। इसलिए, आगामी महीनों में, नया राजनैतिक मंथन संभावित है।

आज खुलेंग केदारनाथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल-पहल देखते ही बन रही है। चार धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाट खुलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात से आई पुष्प समिति द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया गया है। मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। रंग-बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है। रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने कपाट खुलने के इस ऐतिहासिक अवसर पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है।

डॉ. गिरिजा व्यास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप से झुलस गईं। इसके बाद परिजनों ने उन्हें अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर करीब एक माह तक उपचार के बाद गुरूवार शाम करीब 7.15 बजे उनका निधन हो गया। डॉ व्यास के निधन की सूचना के बाद से ही उदयपुर के साथ-साथ, देश और प्रदेश में शोक की लहर व्याप्त हो गई। भाजपा-कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर डॉ. व्यास को श्रद्धांजलि दी है। अहमदाबाद में चिकित्सालय में मौजूद डॉ. व्यास के भाई गोपाल कृष्ण शर्मा के अनुसार, डॉ. व्यास की पार्थिव देह को शुक्रवार सुबह उदयपुर लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और शाम को करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

'पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है'

नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारुख अब्दुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान अपने हालात ठीक करने की बजाय आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में लगा हुआ है

- **डॉ. अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत-पाक के बीच कभी संबंध सुधरेंगे, वहां सेना ऐसा नहीं चाहती।**

श्रीनगर, 01 मई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार को पाकिस्तान को विफल राष्ट्र' की संज्ञा दी।

संवाददाताओं से बात करते हुए अब्दुल्ला ने मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दोनों देश कल की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और अगर परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया गया तो केवल भगवान ही जानता है कि क्या होगा।

उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियां टकराव को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये प्रयास कितने सफल होंगे।

अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी कार्रवाइयों पर चर्चा करते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी।

नेकां अध्यक्ष ने कहा, पाकिस्तान एक विफल देश है। अपने देश को ठीक करने और हालात को सुधारने के बजाय वे ऐसी कार्रवाइयों में शामिल हो रहे हैं, जिनके वैश्विक परिणाम होंगे। उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने दोनों पड़ोसियों के बीच किसी भी वास्तविक शांति में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी सेना की भूमिका की ओर भी इशारा किया।

अब्दुल्ला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी सुधरेंगे, जब तक कि पाकिस्तान में सेना पीछे नहीं हट जाती। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन उनके शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहते।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक सच्ची जनता की सरकार सुलह का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन करते हुए कहा, यह अच्छी बात है। देश में कितने मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या अन्य लोग हैं, यह पता लगाने में कुछ भी गलत नहीं है।

राजस्थान रॉयल्स...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स ने 11 में से 8 मैच गंवा दिए हैं। टीम को 3 और मैच खेलने हैं। इन्हें जीतने के बाद भी टीम 12 अंक तक ही पहुंच सकेगी। 12वें ओवर की पहली बॉल पर राजस्थान रॉयल्स ने 8वां विकेट गंवाया। यहां महीश तीक्षणा 2 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें कर्ण शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच कराया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908